

संख्या - 6017 / 15-7-2003-161 64 1/2003

**मिस प्रमाण उच्चता
संघर्ष कला संविधान,
उत्तर प्रदेश शासन।**

तालिम,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
मिसा केन्द्र-2 समाय केन्द्र
प्रीति विधार, नईटिली।

(प्राप्ति) ५७। अनुभाग

लंब्जकः दिनांकः १२ अगस्ती, २००४

मानव परिवार सदृश भैरव और शीर्षीरस्तोर्ह नईटिली से संबद्धता ऐहु अनापत्ति उमाण पत्र टिपे जाने विषयः।

अधिकारी,

उपर्युक्ता पिङ्गा की गाँव गापदा ध्यान जाकृष्ट करता हुए युद्ध पड़ करने का अनुभव हुआ है कि उक्त सद्भिंत विधातय से शीर्षीरस्तोर्ह नईटिली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रगाण पत्र टिपे जाने में इस राज्य सरकार को निम्नोल्खित दृष्टिधृति के अधीन आपत्ति नहीं है :-

१- विधालय की पंजीकृत तौसापटी का सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

२- पिधालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सक तदत्पर छोगा।

३- विधालय में क्लम से क्लम १० ब्रतिरात स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए तिस सुरक्षित होंगे और उनसे उ०प्र०मा०शिक्षा परिषद द्वारा लंगालित नियालयों गे विभिन्न द्रव्याओं के तिस निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

४- नाथन द्वारा राज्य सरकार ने ज्ञी अनुदान की माँग नहीं की जाएगी और प्राटि पूर्वी विधालय आध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बौसिक शिक्षा परिषद से जहानपाल प्राप्त है तथा विधालय की तंबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/जीवन कार टि डिझिडेन स्कूल टीचर्स फेड इन्डिया मिशन के लिए तो प्राप्त होती है तो उत्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की तंबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा०शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त जाएगा तथा राज्य गरिजेर से प्राप्त अनुदान स्वतः तभाप्त है।

-2-

संस्था स्वैंप्राप्ति एवं प्राप्तिकर्त्ता कर्मियाँ रपोर्ट की राजनीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थागां के कर्मियाँ रपोर्ट लो गनुगम्य वेतनभाग में अन्य भर्ती में
कल वेतनभाग अथा अन्य भर्ती दिए जाएंगे।

कर्मियाँ दी तोवा कर्त्ता कर्त्ता जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त
अधिकारीय उच्चतर नायप्रिया शिक्षणगां के कर्मियाँ रपोर्ट की गनुगम्य
सेवा निवृत्ति ला जान उपलब्ध होता जाएगे।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक्सम्य पर जो भी आदेश निर्णते दिये जाएंगे
उन्हें उनका पालन करेंगी।

विधानसभा और कार्ड निधारित प्रपत्र/पंजिकागां में रखा जायेगा।
उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्रवर्त्तुमान के किंवा कोई परिवर्तन/
तंशाधन/परिवर्तन नहीं दिया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों ला पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यहां
की सभी सम्यक्सम्य पर उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं
किया जा सकता है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घुट पा शिक्षिता बरती
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रभाण पत्र वापस ले लिया
जायेगा।

भर्ती,

। यिम प्रब्राह्म गुप्त ।
संयुक्त तायम् ।

३० संख्या एवं दंडनाल तौरे

प्रतिबंधांपि निम्नलिखित जी शुभनाथ एवं आदेश लार्वाढी देहु प्रेषितः—
1. प्रिया निदेश, उत्तर प्रदेश, निकाय ।
2. मण्डलीय संघर्षत प्रिया निदेश, झेरठ ।
3. प्रिया विधानसभा निरीक्षक, झेरठ ।
4. निरीक्षक, गन्जल भारतीय विधानसभा, ३०५० लख्नऊ ।
5. प्रतिबंध, ज्ञानका प्राप्ति इकाई झेरठ ।
6. गार्ड छुक ।

आक्रमण

। यिम प्रब्राह्म गुप्त HON'Y SECRETARY
संयुक्त तायम् Kalka Educational Society
M-3, Kalka Ji, New Delhi